परिपत्र – 1

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.1825 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2010 भोपाल, दि.26 / 02 / 2010

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त

2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त

3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त

विषय : "समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन" हेतु अभिसरण (Convergence) की अवधारणा पर ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान का कार्यान्वयन : परिपत्र क्र.1

1. पृष्ठभूमि :–

1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यद्यपि पिछले 3 वर्षों में जल संरक्षण व संचय, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण आदि कार्यों का सफल संपादन हुआ है परन्तु इन कार्यों का विश्लेषण निम्न आवश्यकतायें भी पतिपादित करता है :–

1.1.1 जल सरक्षण और जल दोहन के कार्य एकांकी रूप में या तो अलग थलग खेतों में अथवा शासकीय भूमि पर पृथक–पृथक कार्यान्वितकिये गये हैं, जबकि पानी की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण और जल दोहन दोनों तरह के कार्यों का समेकित और अनुपातिक कार्यान्वयन आवश्यक है।

1.1.2 खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण के कार्यों का व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता है।

1.1.3 वृक्षारोपण के कार्य पर्यावरण के उद्देश्य के साथ साथ ग्रामीण आजीविका के वैकल्पिक स्त्रोत के सृजन हेतु भी कार्यान्वित किये जाना आवश्यक है, जिसके लिये वृक्षारोपण स्थल की भूमि का सामर्थ्य, गुणवत्तापूर्ण पौधे की व्यवस्था,

रोपित पौधों की सिंचाई/सुरक्षा/रख रखाव की व्यवस्था, उत्पादों का विपणन, प्राप्त लाभों का वितरण इत्यादि महत्वपूर्ण कारकों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

1.1.4 मिट्टी और पानी की समुचित उपलब्धता के बाद खेती को लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न आदानों की व्यवस्था हेतु और संसाधनहीन ग्रामीणों के लिए ग्रामीण आजीविका के वैकल्पिक स्त्रोतों का सृजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संपादित हो रहे कार्यों का ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों की ग्राम विकास योजनाओ से तालमेल बिठाकर कार्यान्वयन आवश्यक है, ताकि लाभान्वित परिवार वास्तविक रूप से हमेशा के लिए गरीबी रेखा के ऊपर उठ सके।

भविष्य की आवश्यकता – समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन :–

1.1 उक्त 1.1.1 से 1.1.4 में वर्णित आवश्यकताओं को मूर्तरूप देने के लिए सतही जल संरक्षण/संचय, भूजल संवर्धन, मृदा संरक्षण, वानस्पतिक विकास और इन संसाधनों के प्रबंधन व समुचित उपयोग के कार्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबधन की अवधारणा पर एक ग्राम में एक या एक से अधिक मुख्य ड्रेनेज लाईनों के आधार पर चिन्हित वाटरशेड अथवा इसके अंदर सहयोगी ड्रेनेज लाईनों के आधार पर चिन्हित छोटे–छोटे माइक्रो वाटरशेडों में समानुपात में कार्यान्वितकरना होंगे। कृषकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानित कार्यों का समेकित कार्यान्वयन भी इन कार्यों के साथ साथ अभिसरित कर करना होगा। इस अवधारणा पर कार्य करने से मूलतः निम्न लाभ प्राप्त होंगे:–

2.1.1 ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर श्रमजन्य रोजगार उपलब्ध हो सकेगा;

2.1.2 कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिये पर्याप्त पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और मृदा संरक्षण भी हो सकेगा। इससे विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषक, जो वर्षा आधारित खेती पर सर्वाधिक निर्भर हैं, लाभान्वित होंगे;

2.1.3 पानी की उपलब्धता के साथ साथ भूमि विकास के कार्यों और आदानों की समुचित व्यवस्था से कृषि भूमि तथा ग्राम की गैर–कृषि भूमि से बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकेगी;

2.1.4 ऐसे कृषक जो लघु एवं सीमांत श्रेणी में नहीं आते हैं, को भी उनके खेतों के चारों ओर समेकित संसाधन प्रबंधन व उपचार कार्यों का लाभ मिलेगा। वे चाहें

तो अपने खेतों को भी स्वयं के संसाधनों से उपचारित कर उनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।;

2.1.5 कृषि विकास एवं विस्तार की योजनाओं जिनमें बेहतर बीज उपयोग, समन्वित पोषण प्रबंधन एवं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तकनीकों का प्रभावी कार्यान्वयन, अन्य क्षेत्रक योजनाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी के प्रभावी कार्यान्वयन से योगदान दिया जा सकेगा, को लागू किया जा सकेगा;

2.1.6 आजीविका विकास के कृषि आधारित एवं गैर कृषि क्षेत्रक कार्यों के लिए साधन उपलब्ध हो सकेंगे और आजीविका के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों का सृजन भी हो सकेगा;

2.1.7 भू–मण्डलीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संभावित विपरीत परिणामों को भी स्थानीय रूप से निपटने के कारगर उपाय भी किये जा सकते हैं। विशेषकर वृक्षारोपण के द्वारा वायुमण्डल में कार्बन के स्तर में कमी करने और ग्राम स्तरीय संगठनों को कार्बन क्रेडिट दिलवाने की सकारात्मक पहल की जा सकती है;

2.1.8 संसाधनों के प्रबंधन हेतु समेकित कार्य योजना बनाकर मैदानी स्तर पर कार्यान्वितकरने से प्रशासनिक दृष्टि से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में भी सुगमता होगी।

3. समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन हेतु ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान :–

3.1 उक्त परिप्रेक्ष्य में ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा "समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन" हेतु माइक्रो प्लान विकसित कर कार्यान्वितकिया जाना है। इस माइक्रो प्लान के प्रमुख अवयव निम्नानुसार होंगे :–

3.1.1 शासकीय/सामुदायिक भूमि पर भूमि विकास, मृदा संरक्षण, सतही जल संरक्षण व संचय, भूजल संवर्धन के कार्य जैसे कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, गोबियन संरचना, तालाब, परकोलेशन तालाब, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादि;

3.1.2 ऐसे नदी नाले जिनमें अक्टूबर माह तक पानी का प्रवाह रहता है, उनमें उचित स्थान पर जल संचय हेतु नाला बंधान/चैक डेम/स्टाप डेम का निर्माण;

3.1.3 ऐसे नदी नाले जिनमें फरवरी तक पानी का प्रवाह रहता है, उनमें श्रृंखलाबद्ध नाला बंधान/चैक डेम/स्टाप डेम का निर्माण;

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों द्वारा धारित भूमि पर:–

3.1.4.1 भूमि विकास के कार्य, जिसमें मृदा संरक्षण के कार्य भी शामिल होंगे जैसे फील्ड बंडिंग, वानस्पतिक अवरोध इत्यादि;;

3.1.4.2 सतही जल संरक्षण व संचय के कार्य जैसे खेत तालाब, नाला बंधान इत्यादि;

3.1.4.3 भूजल संवर्धन के कार्य जैसे कुआं रिचार्ज, सोक पिट, कुइया कुण्डी, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादि;

3.1.4.4 सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य जैसे कुआं निर्माण, खेत तालाब इत्यादि;

3.1.4.5 उद्यानिकी वृक्षारोपण;

3.1.4.6 अन्य कृषकों द्वारा धारित भूमि पर भूमि विकास, सतही जल संरक्षण व संचय, भूजल संवर्धन और वृक्षारोपण के कार्य;

3.1.4.7 शासकीय एवं सामुदायिक जलाशयों के सुधार व जीर्णोद्धार के कार्य

3.1.4.8 सिंचाई की अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं का विकास एवं सुधार जेसे नहरों का निर्माण, नहरों का सुधार;

3.1.4.9 शासकीय/सामुदायिक भूमि पर स्वसहायता समूहों द्वारा वृक्षारोपण तथा रख रखाव और इनकी सिंचाई हेतु स्त्रोत का विकास;

3.1.4.10 शासकीय/सामुदायिक भूमि पर घास उत्पादन;

3.1.4.11 कृषकों हेतु बीज उत्पादन, बीज उपचार, जैविक पद्धतियों से उर्वरक एवं पेस्टीसाइड का उत्पादन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा परीक्षण, मृदा की किस्म तथा गुणवत्ता एवं उपलब्ध मृदा नमी और सिंचाई सुविधा के आधार पर फसल चक्र पुनःनिर्धारण, टपक सिंचाई का विस्तार एवं कृषि विस्तार के कार्य। इस हेतु कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि महाविद्यालयों से तकनीकी सहायता लेना ;

3.1.4.12 आजीविका विकास के कार्यों के लिए विविध साधन उपलब्ध कराना जैसे कुयें से पानी उद्वहन के लिए पंप इत्यादि और आजीविका के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों का सृजन करना, जैसे जल संग्रहण संरचनाओं में मत्स्य पालन इत्यादि;

समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन" हेतु ग्रामो का चयन :–

"समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन" हेतु माइक्रो प्लान विकसित कर कार्यान्वयन के लिये कलेक्टर प्रत्येक विकासखण्ड में ऐसे राजस्व ग्रामों/ग्राम समूहों का चयन करेंगे, जिनमें पूर्व में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का कार्य नहीं हुआ है। ग्रामों के प्रत्येक समूह में 15–20 ग्राम शामिल किए जाकर समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन हेतु 4000–5000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जा सकता है। ग्रामों का चयन निम्न मानदण्डों को प्राथमिकता देते हुए किया जायेगा :–

4.1.1 ऐसे गांव जिनमें 90% कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित हैं व सिंचाई के कोई स्त्रोत नहीं हैं;

4.1.2 ऐसे गांव जो भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विकासखण्डों में आते हैं;

4.1.3 ऐसे गांव जो भूजल दोहन के संदर्भ में अतिदोहित एवं क्रिटीकल विकासखण्डों में आते हैं;

4.1.4 ऐसे गांव जिनमें गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति परिवहन द्वारा की गई है;

4.1.5 ऐसे गांव जहां लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या कुल कृषकों की संख्या के 50% से ज्यादा है;

4.1.6 डी.पी.आई.पी. व एम.पी.आर.एल.पी. के ग्राम

4.1.7 ऐसे गांव जो विगत 05 वर्षों में वाटरशेड परियोजनाओं के तहत उपचारित/स्वीकृत नहीं है,

4.2 "समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन" हेतु प्रत्येक वर्ष चयनित ग्रामो का विवरण संलग्न अनुलग्नक–1 मे संधारित करा जाये एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को प्रेषित किया जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुलग्नक – I

"समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन" हेतु चयनित ग्रामों का विवरण

विकासखण्ड	चयनित ग्राम	चयन का आधार	ग्राम का सेंसस कोड नंबर	चयनित ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टयर)	ग्राम पंचायत का नाम

6